न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल अधिकारी महोदय केम्प इन्दौर ::

निग 2064-PBR/16

01 उम्मेदसिह पिता पुजा बलाई,
02 रामाजी पिता चमनाजी सिर्वी,
03 जुवानसिंह पिता बाथु भील,
04 शिवनारायण पिता कन्हैयालाल कलाल
05 सुरेश पिता कन्हैयालाल कलाल
06 मुन्ना पिता दलाजी सिर्वी
07 भुपेन्द्र पिता कालु सिर्वी,
08 बाबु पिता पुनाजी सिर्वी
09 नारायण पिता चेना सिर्वी
10 शंकर पिता धन्नाजी सिर्वी
11 किसन पिता धन्नाजी सिर्वी,
12 प्रदुम पिता दुदीया बलाई
13 सुनिल पिता छगन चमार,
14 चम्पालाल पिता गोकुल चमार
15 गंगाराम पिता गोकुल चमार

सभी निवासी ग्राम दुगावा तहसील कुक्षी
जिला धार मध्य प्रदेश ——आवेदकगण

382/19.5-2016
कार्यालय आयुक्त इन्दौर संभाग इन्दौर
श्री राहुल शंकर ......
प्रार्थी/अभिभाषक द्वारा दिनांक 19/05/2016
को प्रस्तुत।

अधीक्षक
आयुक्त कार्यालय

विरूद्व

लक्ष्मण पिता बाला सिर्वी निवासी
ग्राम दुंगावा तहसील कुक्षी जिला धार ——अनावेदक

विपयः— पुनरिक्षण धारा 50 मध्य प्रदेश भु राजस्व संहिता के अंतर्गत

माननीय महोदय,

सेवामे आवेदकगण की और से निम्नानुसार रिव्हीजन प्रस्तुत है :—

अनावेदक द्वारा न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय कुक्षी के समक्ष सीमाकन हेतु आवेदनपत्र धारा 129 मध्य प्रदेश भु राजस्व संहिता के अतर्गत प्रस्तुत किया गया था जो प्रकरण कमांक 10/अ—12/2015—16 पर दर्ज होकर ,उक्त प्रकरण मे माननीय अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा हलका पटवारी एवं राजस्व निरिक्षक को सीमाकन कर पंचनामा एवं प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये निर्देशित किया गया था।

हलका पटवारी के द्वारा आवेदकगण की अनुपस्थिती मे तथा बिना सुचना दिये एक पक्षिय रूप से पंचनामा 06.01.16 एवं प्रतिवेदन दिनांक 26.01.16 को बनाकर अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया । जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 27.01.16 को उक्त सीमाकंन पंचनाामा एवं प्रतिवेदन प्रकरण मे सलग्न कर प्रकरण का निराकरण किया गया । अनावेदक के द्वारा विधि की प्रकिृया के विपरित किये गये सीमाकन के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 250 मध्य प्रदेश भु राजस्व संहिता का आवेदनपत्र प्रस्तुत किया गया है जो प्रकरण क्रमांक 04/अ–70/15–16 पर दर्ज होकर उक्त प्रकरण का सुचनापत्र आवेदकगण को प्राप्त होने पर आवेदकगण तहसील न्यायालय मे दिनांक 18.02.16 को उपस्थित होने पर उक्त सीमाकन का ज्ञान प्रथमबार आवेदकगण को हुआ । उक्त सीमाकन का ज्ञान होने के पश्चात उक्त सीमाकन के विरूद्व यह पुनरिक्षण याचिका नियत अवधि एवं नियत न्यायशुल्क पर प्रस्तुत की जा रही है।

R. 2064 PB/16
उम्मेद सिंह / लक्ष्मण

19/10/16

DD

आवेदक अभिभावक सूचना उपरांत अनुपस्थित। तीन बार आवाज लगवायी गयी, फिर भी कोई उपस्थित नहीं। आवेदक अभिभावक की अनुपस्थिति में प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।

अध्यक्ष